दैनिक जागरण

आप अपने जीवन के शत्रु हैं यदि चिंता करते हैं

अधूरा सच

राफेल सौदे पर एक और कथित सनसनीखेज खुलासा जिस तरह आधा सच बताने और आधा छिपाने के अभियान के तौर पर सामने आया उससे सबसे अधिक चोट मीडिया की विश्वसनीयता को ही पहुंचने वाली है। समझना कठिन है कि राफेल सौदे की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री कार्यालय के तथाकथित दखल को साबित करने के फेर में एक अंग्रेजी दैनिक ने क्या सोचकर रक्षा मंत्रालय के एक नोट का अधूरा अंश ही छापा? इस अधूरे अंश को देखने-पढ़ने से अलग तस्वीर उभरती है, लेकिन पूरे हिस्से को पढ़ा जाए तो तस्वीर कुछ और नजर आती है। अधूरे हिस्से में तत्कालीन रक्षा सचिव की इस आपत्ति का तो जिक्र है कि राफेल सौदे में प्रधानमंत्री कार्यालय फ्रांस सरकार से संपर्क में क्यों है, लेकिन तबके रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर की ओर से लिखी गई यह टिप्पणी गायब है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय सौदे पर बातचीत नहीं कर रहे, बल्कि उसकी प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। साफ है कि जो भी रक्षा मंत्री की टिप्पणी से अवगत नहीं होगा वह यही समझेगा कि रक्षा सचिव को प्रधानमंत्री कार्यालय और फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय के बीच राफेल सौदे पर हो रही कथित समानांतर बातचीत पर आपत्ति थी।

यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि आधा सच बयान करने वालों की दिलचस्पी केवल यह प्रचारित करने की थी कि रक्षा मंत्रालय को प्रधानमंत्री कार्यालय के कथित हस्तक्षेप से आपत्ति थी। इसी कारण उसने इस आपत्ति के ठीक नीचे रक्षा मंत्री की ओर से लिखी गई टिप्पणी को जानबूझकर स्थान नहीं दिया और वह भी तब जब वह उसी पेज पर थी। ऐसा काम तो वही कर सकता है जिसका मकसद अपनी मर्जी का सच सामने लाना हो। आम तौर पर इस तरह का काम सोशल मीडिया में किया जाता है। यदि मुख्य धारा का मीडिया भी यही काम करने लगेगा तो फिर वह अपना ही अहित करेगा। वैसे तो ऐसे संवेदनशील मामलों में रक्षा मंत्री का पक्ष भी जानने की कोशिश होती है, लेकिन इस मसले पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। इस पर आश्चर्य नहीं कि राफेल सौदे पर आधी-अधूरी सच्चाई सामने आते ही राहुल गांधी उत्साहित हो गए। उन्होंने नए सिरे से वही सब आरोप दोहराए जो वह न जाने कितने बार उछाल चुके हैं। उनके साथ कुछ अन्य अनेक लोग भी राफेल सौदे को विवादास्पद बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। समस्या यह है कि वे यह चाहते हैं कि बिना किसी प्रमाण जनता यह मान ले कि राफेल सौदे में गड़बड़ी हुई है। यह जिद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बावजूद की जा रही है जिसमें उसने राफेल सौदे को सही बताया था। अगर राहुल गांधी और उनके साथियों को यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से अधिक विश्वसनीयता उनकी है तो वे ऐसा मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इससे हकीकत बदलने वाली नहीं है। पता नहीं राफेल सौदे के खिलाफ अभियान कब तक जारी रहेगा, लेकिन बिना किसी प्रमाण इस सौदे को संदिग्ध बताने का अभियान जिस तरह छिड़ा हुआ है उससे तो यही लगता है कि किसी की दिलचस्पी इसमें है कि भारतीय वायु सेना सक्षम न बनने पाए।

प्रदेश में स्वाइन फ्लू

उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों का सिलसिला थम नहीं पा रहा है। करीब एक माह में 19 लोगों की जानें इस बीमारी से जा चुकी हैं और 98 मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि हालात से निपटने के लिए सभी तैयारियां मुक्कमल हैं। सभी सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके मौतों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ऐसे में यह सवाल है कि यदि ऐसा है तो प्रभावितों की तादाद क्यों बढ़ रही है। खास बात यह है कि मरने वालों की संख्या राजधानी देहरादून में ही सर्वाधिक है। हालांकि इसकी एक वजह यह भी है कि गंभीर होने पर मरीज यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर तैयारियां हैं तो नौबत यहां तक क्यों पहुंची। एक पहलू यह भी है कि डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग दावे तो करता है, लेकिन धरातल पर स्थिति उलट रहती है। इसका एक उदाहरण पिछले दिनों देखने को मिला। स्वास्थ्य विभाग का दावा था कि सभी मौतें स्वाइन फ्लू से नहीं हुई हैं। इनमें कुछ मौतें अन्य बीमारियों से हुई हैं, लेकिन जब डेथ ऑडिट कराया गया तो हकीकत सामने थी। पता चला कि मौत की वजह स्वाइन फ्लू ही है। इसके बाद स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि इस बीमारी में लगाई जाने वाली वैक्सीन अधिक कारगर नहीं रह गई है। इसका कारण बताया गया कि वायरस खुद को वैक्सीन के अनुकूल ढाल चुका है। अब असलियत तो स्वास्थ्य महकमा ही बता सकता है। सवाल केवल अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था का ही नहीं है, बल्कि आम जन को इस बारे में जागरूक करने का भी है। जागरूकता के अभाव में लोगों में घबराहट फैल जाती है। इसमें दो राय नहीं कि जागरूकता के स्तर पर ऐसे प्रयास ज्यादा नजर नहीं आते। स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या हैं, इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। इसको लेकर बाकायदा अभियान चलाने की जरूरत है। यह सच है सेहत के मोर्चे पर उत्तराखंड की हालत गंभीर है। हालात अब चुनौती बन चुके हैं।

अयोध्या पर अनुदार सोच का प्रदर्शन

मनमोहन वैद्य

उदारवाद के प्रतीक के रूप में स्थापित पं. नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के प्रति जैसी अनुदारता दिखाई थी वही आज राम मंदिर निर्माण के संदर्भ में भी दिखाई जा रही

यद्यपि राम मंदिर की जमीन के मालिकाना हक का विवाद और सोमनाथ मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न है, फिर भी 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और डॉ. कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी के बीच सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर हुई बहस को जानना समीचीन होगा। डॉ.मुंशी की पुस्तक 'पिलग्रिमेज टू फ्रीडम' में यह अविस्मरणीय बहस दर्ज है। डॉ. मुंशी लिखते हैं, ''दिसंबर 1922 में मैं उस भग्न मंदिर की तीर्थ यात्रा पर निकला। वहां पहुंचकर मैंने मंदिर में भयंकर दुरावस्था देखी-अपवित्र, जला हुआ और ध्वस्त, पर फिर भी वह दृढ़ खड़ा था, मानों हमारे साथ की गई कृतघ्नता और अपमान को न भूलने का संदेश दे रहा हो। उस दिन सुबह जब मैंने पवित्र सभामंडप की ओर कदम बढ़ाए तो मंदिर के भग्नावशेषों और बिखरे पत्थरों को देखकर मेरे अंदर अपमान की कैसी अग्निशिखा प्रज्ज्वलित हो उठी थी, मैं बता नहीं सकता।'' वह आगे लिखते हैं, ''नवंबर 1947 के मध्य में सरदार पटेल पाटन के दौरे पर थे जहां उन्होंने मंदिर का दर्शन किया। एक सभा में सरदार पटेल ने घोषणा की कि नए साल के अवसर पर हमने फैसला किया है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण करना चाहिए। यह एक पवित्र कार्य है जिसमें सभी को भाग लेना चाहिए। इसकी चर्चा तत्कालीन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुई। कैबिनेट की बैठक के अंत में पं.नेहरू ने मुझे बुलाकर कहा, 'मुझे सोमनाथ के पुनरुद्धार के लिए किया जा रहा आपका प्रयास पंसद नहीं आ रहा। यह हिंदू पुनरुत्थानवाद है।' मैंने जवाब दिया, 'मैं घर जाकर जो कुछ भी घटित हुआ उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा।''

पं. नेहरू ने जिसे 'हिंदू पुनरुत्थानवाद' कहकर विरोध किया उसे डॉ. मुंशी ने 'भारत की सामूहिक अंतःचेतना' का नाम दिया। एक ही मुद्दे पर दो अलग-अलग विरोधी दृष्टिकोण क्यों बन जाते हैं? मूलतः ये भारत के दो अलग-अलग विचार हैं। पं. जवाहरलाल नेहरू भारत विरोधी नहीं थे, पर भारत के संबंध में उनका नजरिया यूरोपीय सोच पर केंद्रित था, जो भारतीयता से अलग था। वहीं सरदार पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. मुंशी और अन्य लोगों के भारत संबंधी विचारों में भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा का सार निहित था। यह उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी ने भी सोमनाथ के पुनरुद्धार को स्वीकृति दी थी। उन्होंने केवल यह शर्त रखी थी कि मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए धनराशि जनता के सहयोग से इकट्ठी की जाए।

डॉ. मुंशी लिखते हैं, ''24 अप्रैल, 1951 को मैंने उन्हें (नेहरू को) एक पत्र लिखा था, जिसे यहां अक्षरशः पुनः प्रस्तुत कर रहा हूं-सोमनाथ के संबंध में आपने कैबिनेट में स्पष्ट रूप से मेरा नाम लिया। मुझे खुशी है कि आपने ऐसा किया, क्योंकि मैं अपने किसी भी विचार या कार्य को छिपाना नहीं चाहता। खासकर आपसे, जिसने बीते महीनों में मुझ पर इतना भरोसा किया है। मैंने सोमनाथ को धर्म और संस्कृति के एक केंद्र, एक विश्वविद्यालय और एक कृषि क्षेत्र के तौर पर विकसित करने का बीड़ा उठाया है तो उसके पीछे सीधा-सादा कारण है कि मुझे यह कार्य सौंपा गया है। ऐसे किसी कार्य में सहायता प्रदान करते समय मेरा वकील होना या एक आम नागरिक या मंत्री होना सिर्फ एक संयोग मात्र है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे ऐतिहासिक उपन्यासों ने गुजरात के प्राचीन इतिहास से आधुनिक भारत का परिचय कराया है और मेरे उपन्यास 'जय सोमनाथ' की देश भर में चर्चा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 'भारत की सामूहिक अंतःचेतना' किसी और अन्य कार्य की तुलना में सोमनाथ के पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार के समर्थन के बारे में सुनकर अधिक खुश है। कल आपने 'हिंदू पुनरुत्थान' के संदर्भ में बात की। मैं आपके विचारों से अवगत हूं। मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे विचारों के साथ भी न्याय करेंगे। मैंने अपने साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के माध्यम से हिंदू धर्म के कुछ पहलुओं की आलोचना करते हुए उन्हें नया रूप देने या बदलने का विनम्र निवेदन किया है, इस विश्वास के साथ कि यह छोटा सा कदम ही आधुनिक वातावरण में भारत को एक उन्नत और सशक्त राष्ट्र बना सकता है। एक बात और कहना चाहूंगा कि अतीत पर मेरा विश्वास मुझे वर्तमान में काम करने और भविष्य की ओर आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा है। मेरे लिए ऐसी आजादी का कोई मूल्य नहीं हो सकता, अगर वह हमें श्रीमदभागवत गीता से वंचित कर दे या हमारे जैसे लाखों लोगों के मन में मंदिरों के प्रति बसी आस्था को उखाड़ फेंके और हमारे जीवन के बुनियादी स्वरूप को ही नष्ट कर दे।''

अवधेश राजपूत

डॉ. मुंशी ने यह भी लिखा है, ''सोमनाथ में मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा के साथ एक और घटना जुड़ी हुई थी। जब प्राण-प्रतिष्ठा का समय आया तो मैंने राजेंद्र प्रसाद (भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति) से संपर्क किया और उनसे समारोह का उद्घाटन करने का निवेदन किया। पं. नेहरू के साथ मेरा पत्राचार उनसे छिपा नहीं था। उन्होंने वादा किया कि प्रधानमंत्री का जो भी दृष्टिकोण हो, वह आएंगे और प्राण-प्रतिष्ठा भी करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं एक मस्जिद या चर्च के साथ भी ऐसा ही करता, अगर मुझे वहां निमंत्रित किया जाता। मेरी आशंका सही साबित हुई। जैसे ही यह घोषणा की गई कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद मंदिर का उद्घाटन करने आ रहे हैं, पं. नेहरू ने उनके सोमनाथ जाने का जोरदार विरोध किया, पर राजेंद्र प्रसाद ने अपना वादा पूरा किया। सोमनाथ में दिए उनके भाषण को सभी अखबारों में प्रकाशित किया गया, लेकिन उसे सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नहीं किया गया।''

कैसी विडंबना थी कि भारत में उदारवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में स्थापित पं. नेहरू ने इस संबंध में बहुत ही अनुदार मानसिकता का परिचय दिया। उनके आदेश पर भारत के राष्ट्रपति के भाषण को सरकारी विभागों के दस्तावेजों से हटा दिया गया। पं. नेहरू की यह अनुदार वृत्ति अभारतीय चरित्र का परिचय कराती है। भारत में 60 साल से एक ही दल के शासन के कारण इस नेहरूवादी अनुदार धारणा को ही सरकार द्वारा संरक्षण, पोषण और समर्थन मिलने के कारण बौद्धिक जगत, शिक्षा संस्थानों और मीडिया में भारत की यही अभारतीय अवधारणा प्रतिष्ठित करने का प्रयास हुआ है। इसीलिए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के विरोध में उभरने वाली आवाजें मीडिया और बौद्धिक जगत में अधिक तेज दिखाई देती हैं, लेकिन करोड़ों हिंदू (और मुस्लिम भी) ऐसे हैं जो उस भारतीय अवधारणा को अंतःकरण से मानते हैं जो भारत की एकात्म और समग्र आध्यात्मिक परंपरा के साथ गहराई से जुड़ी है और 'भारत की सामूहिक अंतःचेतना' के अनुरूप है, जिसे सरदार पटेल, डॉ. कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, डॉ. राधाकृष्णन, पंडित मदनमोहन मालवीय और आधुनिक स्वतंत्र भारत के कई दिग्गज राष्ट्र निर्माताओं ने अपने वाणी और आचरण से अभिव्यक्त किया। 'भारत की इस सामूहिक अंतःचेतना' की इच्छा, आकांक्षा और संकल्प अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाकर भारत के अपमान को निरस्त कर भारत के गौरव चिन्ह को प्रतिष्ठित करना है।

(लेखक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह हैं)

response@jagran.com

छोटी नदियों को भी बचाने की जरूरत

ब्रजेंद्र प्रताप सिंह

छोटी नदियों को बचाए बिना मैदान में गंगा का विशाल स्वरूप संभव नहीं और न ही किसानों की खुशहाली

प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर आयोजित कुंभ मेला में आस्था के अनगिनत रंग देखने को मिलते हैं। जहां धर्माचार्यों के वैभवशाली ठिकाने लोगों को विस्मित कर रहे हैं वहीं गंगा की रेत पर एक माह तक एक वक्त का खाना गंगाजल से बनाकर खाने वाले 20 लाख कल्पवासी परिवारों की जुटान भी। इन कल्पवासियों की एक अलग दुनिया और संस्कार है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग इसी कुंभ में हुई तो अप्रवासी भारतीयों को खुद केंद्र सरकार ने कुंभ मेला घुमाया। मेला में गंगा के महात्म्य और उसकी विलक्षणता के प्रवचन चल रहे हैं, रासलीलाओं के पंडाल सजे हैं। कुंभ में सरकार भी अपनी भूमिका को विस्तार दे चुकी है। यहां राम मंदिर का सवाल है तो बेटियों की रक्षा, सामाजिक समरसता का संदेश भी है। इन सबके बीच एक सवाल और भी है कि कुंभ क्यों लगता है? यह सवाल करते हुए और खुद ही उसका उत्तर देते हुए हजारों स्वर इस कुंभ में आपको सुनाई पड़ेंगे।

श्रद्धा से संगम आ रहे लोगों को गंगा और यमुना की जल धाराएं अलग-अलग देखने और फिर गंगा में यमुना के समाहित होते हुए देखने का सुंदर अवसर मिलता है। त्रिवेणी स्नान के लिए आने वाले लोगों को मालूम है कि सरस्वती अब विलुप्त हैं, मगर वे थीं और यहीं पर गंगा में मिल जाती थीं। यह हजारों वर्ष की जन मान्यता और आस्था है। इस कुंभ में वैचारिक कुंभ भी हो रहे हैं जो नदियों के महात्म्य और उनकी जरूरत, संरक्षण पर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। धूनी रमाये हुए नागाओं और धर्म रक्षा के संकल्प की डंडी लिए संन्यासियों के बीच बीते दिनों तब एक अद्भुत दृश्य ने मेला में अपना ध्यान खींचा जब मुस्लिम युवतियों का समूह 108 छोटी नदियों का कलश हाथ में थामे हुए मेला आया। मुख्य काली मार्ग पर नाले के ऊपर बने अस्थाई पुल पर सभी युवतियां एकत्रित हुईं तो जगद्गुरु शंकराचार्य ने वहां आकर इन लड़कियों के हाथ से कलश लिया। इसके बाद सबने गंगा के साथ छोटी नदियों की रक्षा का संकल्प दोहराया। यह दृश्य जहां नीर व नारी के रिश्ते को समृद्ध कर गया वहीं छोटी नदियों पर भी देश का ध्यान केंद्रित करा गया।

इस तथ्य पर गौर किए जाने की आवश्यकता है कि संगम के निकट उक्त पुल एक नाले पर बना है। वह नाला संगम में जाकर मिलता है। मेला क्षेत्र में इसे मनसयिता नाला कहते हैं, जबकि यह प्रयागराज जिले की 30-40 किलोमीटर की एक छोटी नदी है जो संगम क्षेत्र में गंगा में मिलती है। राजस्व रिकॉर्ड में यह कुछ हिस्सों में नदी है, जबकि जल निगम ने इसे नाला घोषित कर दिया है। इसी संगम के निकट कौशांबी से आने वाली छोटी नदी ससुर खडेरी यमुना नदी में मिलती है। उसे भी जल निगम ने नाला घोषित कर दिया है, जबकि ग्राम पंचायतों में वह नदी है। इन नदियों जिन्हें नाला कहा जाने लगा है, में प्रयागराज जिले की जो गंदगी है उसे उड़ेला जााता है। नदी की जमीन कब्जा कर ली गई है और आसपास के जंगल काट दिए गए हैं। अब वह नदी शहर के अंदर नाला है। इतिहास में मनसयिता नदी के तट पर पांडवों के रुकने और ठहरने का जिक्र है। जब हम दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ की भावना के साथ समुद्र मंथन से विष और अमृत अलग करने का त्योहार मनाने के लिए जुटे हों, अमृत पाने की उम्मीद के साथ आए हों, देव और असुर संग्राम में देवों के विजय उल्लास के साक्षी बनने आए हों तब मैला ढोने वाली मालगाड़ी में बदल दी गई इन छोटी नदियों की त्रासदी पर भी ध्यान दें, क्योंकि बिना छोटी नदियों के संरक्षण के मैदान में गंगा का विशाल स्वरूप संभव नहीं और न ही किसानों की खुशहाली। इन्हीं छोटे जलस्रोतों को बचाने की बड़ी लड़ाई की भूमिका यह कुंभ लिख रहा है। यह लड़ाई सफल हो, इसकी कोशिश हर किसी को करनी चाहिए।

ध्यान रहे कि गंगा जब मैदान में आती हैं तो अलकनंदा, मंदाकिनी और भगीरथी जैसी छोटी नदियों का जल धारण करके गंगा बनती है। गंगा सागर जाने से पहले उसमें यमुना जैसी बड़ी नदी का समर्पण होता है। ताल-तलैय्या, छोटी नदियां और अन्य जल स्रोतों को बचाने का मतलब है गंगा और अन्य बड़ी नदियों को बचाना। जब गांव-गांव तालाब बनेंगे और पेड़ लगेंगे तभी छोटी नदियां बचेंगी। छोटी नदियों के लिए बड़े खतरे हैं-शहरों का सीवर उनमें डालना, उनकी जमीन-जल क्षेत्र पर अतिक्रमण करना। इसके लिए नदियों की गणना करने और राजस्व रिकॉर्ड में उनकी जमीन नदी भूमि के रूप में दर्ज कराने का काम किया जाना चाहिए। यह काम गंगा क्षेत्र में ही नहीं, सारे देश में होना चाहिए। वास्तव में जनपद मुख्यालयों में जिले की नदियों की सूचना देने वाले बोर्ड लगाने और नदी की जमीन को चिन्हित करने की सख्त जरूरत है। इन नदियों के साथ इनको पानी देने वाले तालाबों की खुदाई और तालाबों की जमीन से कब्जा हटवाने का अभियान भी चले तो और अच्छा।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | विदेश में राजनयिक मिशन

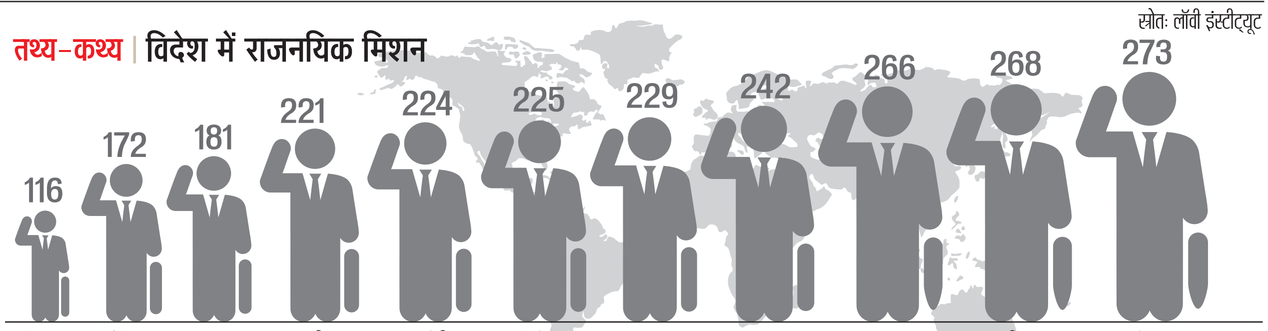

स्रोतः लॉवी इंस्टीट्यूट

ऊर्जा

नागरिक बोध

नागरिक बोध (सिविक सेंस) वह भाव है, जिसमें राष्ट्रीय दायित्व प्रधान होता है और व्यक्तिगत हित गौण। अरस्तू ने कहा था, 'नागरिकता के नियमों और सामाजिक न्याय के बिना मनुष्य सभी जीवों से अधिक खतरनाक है।' 'व्यक्ति' खुद में स्वतंत्र तो होता है, लेकिन जब वह 'नागरिक' होता है तो राष्ट्र के प्रति दायित्व एवं कर्तव्य बोध से बंधा होता है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन जितनी तत्परता हम अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए दिखाते हैं, कर्तव्यों के प्रति उतने ही मौन नजर आते हैं! नागरिक बोध नागरिकों में दायित्व-बोध जगाता है और उन्हें समाज तथा राष्ट्र के प्रति छोटी-बड़ी जिम्मेदारियों का अहसास भी दिलाता है।

प्रत्येक नागरिक के भीतर नागरिक बोध का सकारात्मक भाव ही समाज एवं राष्ट्र को प्रगति पथ पर अग्रसर रखता है। कई बार व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए सामाजिक दायित्व हाशिये पर रख दिए जाते हैं। नागरिकों की ऐसी प्रवृत्ति राष्ट्र के उन्नयन में बाधक तो होती ही है, इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी समुचित विकास नहीं हो पाता। नागरिकों में नागरिक बोध का अभाव समाज में अविश्वास का वातावरण बनाता है। ज्ञातव्य है कि दायित्वविहीन समाज कभी आदर्श राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता।

सार्वजनिक स्थानों को गंदा करना, प्रतिबंधित स्थानों पर धूम्रपान और शौच करना, किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों पर अन्य वर्ग के लोगों का जबरन प्रवेश या फिर यातायात नियमों का उल्लंघन जैसी आदतें नागरिक बोध को कमजोर करती हैं। नागरिक बोध मानव मूल्य एवं चरित्र निर्माण की प्रक्रिया से भी जुड़ा है। इसलिए परिस्थिति कोई भी हो, नागरिकों को संवेदनहीन होने के बजाय विनम्र बने रहना चाहिए। ईमानदारी और इंसानियत के गुण व्यक्ति में नागरिक बोध का भाव जगाते हैं। 'राष्ट्र प्रथम' और 'दायित्व प्रथम' के भाव ही नागरिकों में नागरिक बोध को प्रबल करेंगे। नागरिक बोध के अनुपालन से ही अच्छे नागरिक की पहचान होती है। समाज के सामान्य हितों एवं सुख-सुविधाओं को ध्यान में रखकर अपने व्यवहार को संतुलित तथा प्रेरक बनाना ही एक नागरिक के प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए।

सुधीर कुमार

संकट में कछुओं का जीवन

रमेश ठाकुर

हमारी नादानी से देश में तकरीबन सभी प्रजातियों के कछुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है

कुदरती कहर ने नहीं, बल्कि मानवीय हरकतों ने कछुओं के जीवन को खतरे में डाल दिया है। समुद्र, तालाब, नदियां एवं अन्य संरक्षित जगहों से कछुओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के गहिरमाथा समुद्र के तट पर बने अभयारण्य में एक साथ हजारों कछुओं की मरने की खबर न सिर्फ पर्यावरणविदों को सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि हम सबको भी चिंतित करती है। पिछले सप्ताह वन विभाग के अधिकारियों को समुद्र के तट पर हजारों की संख्या में कछुओं के कंकाल मिलने से पूरे महकमें में खलबली मच गई। ऐसे तो कछुओं का नामोनिशान ही मिट जाएगा। आने वाली पीढ़ी वास्तविक नहीं, बल्कि पुस्तकों में ही कुछओं के चित्र देख पाएगी।

जिस जगह पर मरे हुए कछुए बरामद हुए हैं वह कछुओं के लिए सुरक्षित और संरक्षित मानी जाती है, लेकिन अब वहां भी मानवीय आफत आ गई है। लोगों में एक धारणा पैदा हो गई है कि कछुओं को खाने से इंसान स्वस्थ और जवान रहता है। कछुओं के तेल से कई बीमारियां खत्म होती हैं। कछुओं के लुप्त होने के और भी कारण सामने आए हैं। वास्तु शास्त्रियों की सलाह पर लोगों में घरों में कछुओं को रखे जाने का चलन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी मिथ्याओं के चलते लोग कछुओं को निशाना बना रहे हैं। वन्यजीव (संरक्षण) कानून, 1972 के तहत कछुओं को नुकसान पहुंचाने पर सख्त सजा का प्रावधान है। बावजूद इसके शिकारियों में किसी बात का भय नहीं है।

कछुओं को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने उन सभी राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं जो समुद्र तट से लगे हैं और जहां कछुओं की संख्या बहुतायत में है, लेकिन फिर भी लापरवाही बरती जा रही है। शिकारी समुद्र के किनारों पर जाल लेकर कुछओं के आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही कुछए पानी से बाहर आते हैं उन्हें दबोच लेते हैं। मछुआरों को कछुओं से संबंधित एक बात ठीक से पता है कि वे समुद्र की गहराई में ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन घंटे भर के अंतराल के बाद सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर आते हैं। जैसे वे बाहर आते हैं मछुआरे उन्हें कैद कर लेते हैं।

उड़िसा हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 में अपने एक आदेश में समुद्री रक्षादल को आदेश दिया था कि कछुओं के आगमन वाले रास्तों पर किसी तरह कोई अवरोध न हो, साथ ही उन रास्तों पर नौका का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। उस आदेश का एकाध वर्ष तो पालन हुआ, लेकिन बाद में फिर सब कुछ सामान्य हो गया। सख्त कानूनी पहरा और प्रशासनिक मनाही के बाद भी आज इस अपराध को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है। हम कभी भूल जाते हैं कि दुलर्भ प्रजाती के कछुए जल-पारिस्थितिकी के संतुलन में बड़ी भूमिका अदा करते हैं, पर इंसानों की घोर लापरवाही ने कछुओं के जीवन को संकट में डाल दिया है। केंद्र एवं राज्य सरकारों को इस ओर ध्यान देने की दरकार है। नहीं तो एक दिन हम कछुआविहीन हो जाएंगे। इससे पर्यावरण को खासा नुकसान होगा। कछुओं को बचाने के लिए जनजागरण की जरूरत है। इसके लिए सरकार और समाज, दोनों को आगे आना होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

पहले सरकारी स्कूलों की बदहाली दूर करें

विस्तार चाहता शिक्षा अधिकार कानून शीर्षक से लिखे अपने लेख में जगमोहन सिंह राजपूत ने 12वीं तक की शिक्षा को शिक्षा अधिकार कानून के दायरे में लाने की वकालत की है। अच्छा होता लेखक देश के सरकारी स्कूलों की बदहाल दशा सुधारने के लिए कुछ उपाय भी बताते, क्योंकि अभी भी गरीब और कमजोर तबके के बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए इन्हीं स्कूलों पर निर्भर हैं। लिहाजा जब तक सरकारी स्कूलों की बदहाली नहीं दूर होगी देश के बड़े तबके को सही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जैसे-सभी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया जाए। प्रत्येक स्कूल में कक्षा के अनुरूप शिक्षक हों। अर्थात आठ कक्षा को पढ़ाने के लिए आठ टीचर और आठ कमरे होने चाहिए। अभी बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां एक टीचर पांच कक्षा को पढ़ा रहा है। मिड डे मील के अलावा उसका पैसा सीधे बच्चों के खातों में इस शर्त के साथ भेज दिया जाए कि विद्यालय में उनकी 80 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी। साथ ही गणित, विज्ञान और भाषा कम से कम इन तीन विषयों के लिए प्राथमिक स्तर पर एकसमान प्रणाली पूरे देश में लागू की जानी चाहिए। सामाजिक विषय को प्रदेश स्तर पर एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जा सकता है। देखा जाए तो स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आइसीएसई बोर्ड के विषयों में एकरूपता नहीं है। एक देश में ही ऐसा क्यों है? इसके अलावा शिक्षकों से शिक्षा के अलावा अन्य किसी प्रकार के कार्य न लिए जाएं। अंत में यह भी देखा जाए कि वहां पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनके पास उसकी योग्यता है या नहीं।

singh2.m@gmail.com

मेलबाक्स

नुकसान की भरपाई हो

बृहस्पतिवार को मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। दिल्ली और आसपास के कई राज्यों में अचानक बारिश एवं ओलावृष्टि हुई। बेमौसम हुई इस बरसात ने तापमान तो गिराया ही, साथ ही किसानों के चेहरे पर मायूसी भी ला दी। इसकी वजह से खेतों में लगी सरसों, गेहूं, आलू एवं अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में लाखों हेक्टेयर जमीन पर फसल बर्बाद हो गई है। राज्य सरकारों को पीड़ित किसानों की हरसंभव सहायता करनी चाहिए ताकि उनकी परेशानी थोड़ी कम हो सके।

उपासना, दिल्ली विवि

अकेलेपन की बढ़ती समस्या

अकेलेपन से होने वाला तनाव दिन-ब-दिन तेजी से बढ़ रहा है। परिवार के साथ रहना हर कोई पसंद करता है, लेकिन आज युवक अपना करियर बनाने के चक्कर में सामाजिक दायरा सीमित कर रहे हैं। अकेलेपन से पीड़ित लोगों में पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की देखी जा रही है। अकेलेपन से व्यक्ति कामयाबी तो हासिल कर लेता है, लेकिन उम्रभर बिना किसी साथी के ही रह जाता है। व्यक्ति के लिए जितना जरूरी कामयाबी पाना है, उससे कही ज्यादा जरूरी एक अच्छे साथी का जीवन में होना है।

निशांत रावत, डॉ. भीमराव आंबेडकर कॉलेज

लचर स्वास्थ्य सेवाएं

देश में स्वाइन फ्लू बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। काफी संख्या में इस बीमारी से पीड़ित इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे अनेकों राज्यों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मरीजों से यही लगता है कि इससे बचने के लिए पुख्ता उपाय नहीं किए जा सके हैं। शायद जनस्वास्थ्य अब भी हमारी प्राथमिकता में नहीं है। खासतौर से ग्रामीण अंचल के मरीज साधारण फ्लू की स्थिति में लापरवाही बरतते हैं। सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करना चाहिए।

संध्या, दिल्ली विवि

खतरे में पैदल यात्री

तेजी से बढ़ती अनियंत्रित जनसंख्या, वाहन, अनियोजित विकास और अतिक्रमण आदि से निरंतर घटती सड़कें और फुटपाथ आदि से आज पैदल यात्रियों का चलना दूभर है। दिल्ली जैसे महानगरों में अधिकांश फुटओवर ब्रिज इसलिए कारगर नहीं हैं, क्योंकि ये अंडरपासों की तुलना में अधिक ऊंचे और कष्टदायक हैं। यही कारण है कि हर साल कई पैदल यात्री जान गंवा देते हैं।

वेद मामूरपुर, नरेला

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।